



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India
(Declared vide Govt. of India MHRD Notification NO. F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995
under section 3 of UGC Act, 1956)

No. Acad./SW/177/ 107(एच)

Date: 3/11/2025

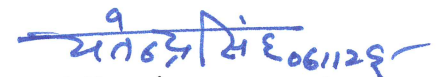
सूचना

संस्थान के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के छात्र कल्याण कोष से नियमानुसार आर्थिक सहायता जारी किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विद्यार्थियों को निम्नलिखित मदों में संस्थान द्वारा जारी छात्र कल्याण कोष मार्गदर्शिका अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किया जावेगा :-

1. खेल सांस्कृतिक गतिविधियों, एन.एस.एस. एवं एन.सी.सी. में उच्च प्रदर्शन।
2. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फेंस / संगोष्ठी।
3. आकस्मिक चिकित्सकीय सहायता।
4. देहांत / दिव्यांगता की परिस्थिति में।
5. आर्थिक रूप से असक्त छात्र / छात्राओं के शिक्षा में सहायोग हेतु।
6. अन्य सदृश्य कारण।

छात्र आवेदन पत्र दिनांक 14 नवम्बर, 2025 तक आवश्यक रूप से संस्थान में प्रस्तुत करें।

(प्राधिकार : माननीय कुलपति महोदया का अनुमोदन दिनांक 06.11.2025)


(डॉ. यशेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव (प्र.)

प्रतिलिपि :

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- समस्त अधिष्ठाता
- समस्त विभागाध्यक्ष
- निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. — संस्थान बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
- समस्त छात्रावास सूचना पटल
- विद्यार्थी भोजनालय सूचना पटल